APP-A
Crim-I

16/9/97
A
6

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

नाम अदालत सी टी एम मुकाम नगर

सीनी बनाम रामजीलाल

किस्म मुकदमा नं. सन् 725/96

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/97	पत्रावली पेश हुई। हाकिम अवकाश आदेश वास्ते [illegible] 16/9/97 को पेश हो [signature]	[thumb impression] कि० हीरा
5-3/2001	उपरोक्त [illegible]. [illegible] [illegible] है [illegible] निर्णय [illegible] करे है। निर्णय की प्रति [illegible] को [illegible] [illegible] जावे [signature] ACM [illegible] नगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

11/35

न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा RAS

वाद संख्या (377/96) 41/99

हरिया पुत्र किशन जाति गूजर निवासी आरसी तह. नगर — वादी

बनाम

1. देवला पुत्र खचेरी 2. पूरन पुत्र जुगला 3. किरोडी पुत्र नेतनी
4. सोनी पुत्र बदले 5 राधे पुत्र खचेरी जाति जाटवान नि. आरसी.
6. तहसीलदार तहसील नगर — प्रतिवादीगण.

दावा धारा 188 RTAct.

वाद संख्या 725/96

सोनी पुत्र बदले 2. देवला पुत्र खचेरा, 3. [illegible] पुत्र मेनारी जाति जाटव जाति कुम्हार 4. राधेश्याम पुत्र रामजीलाल गूजर नि. आरसी — वादीगण.

बनाम

1. रामजीलाल 2. हरिया पुत्र किशन कौम गूजरान नि आरसी — अप्रार्थीगण
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नगर — तरतीबी प्रति.

दावा धारा 88-89 व 91 व 188 रा.का.अधि.

उपस्थित - वादी की ओर से श्री राजीव गुप्ता एडवोकेट
" प्रति. " श्री दीनदयाल जैन एडवोकेट

निर्णय दिनांक 5.3.2001

उक्त उनवानी दोनों वाद पत्रों की विषयवस्तु एक है इसलिये दोनों का निर्णय साथ किया जा रहा है।
हरिया वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर कहा है कि उसकी खातेदारी की आराजी 166 [illegible] ग्राम आरसी स्थित है जो उसकी कब्जा काश्त खातेदारी की [illegible] जिस पर वह शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहा है परन्तु [illegible] प्रतिवादीगण इससे जबरन नाजायज तौर पर [illegible] करते हैं और रास्ता कायम करने की फिराक में है उसे गैर कानूनी तौर पर बाउस्ट करदेना चाहते हैं। इसकी धमकी भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर दि० 31.3.92 ग्राम आरसी में दी है। प्रतिवादी संख्या 6 भी प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर नगर (भरतपुर)

एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नगर (भरतपुर)

-2-

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1005 की वक्कोब मे आकर जबरदस्ती आराजी मुतनाजे के मध्य मे रास्ता कायम करने की फिराक मे हैं। इसलिये उसने यह दावा किया है। अंत में दावा डिक्री करने की प्रार्थना कर प्रतिवादी को हमेशा हमेशा के लिये दवामी की डिक्री से पाबन्द करने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ है जिसमें वाद पत्र को अस्वीकार किया गया है व विशेष कथन में कहा है कि यह दावा उन्हें मजबूर तंग व परेशान करने की नीयत से किया है। सोबन ख0नं0 $\frac{216}{170}$ के हाल नम्बरान $\frac{167}{0.21}$, $\frac{166}{0.22}$ बनाये हैं दावा केवल ख0नं0 $\frac{166}{0.22}$ का किया है। लोगों के अनुसार जमीन 2/4 हैक्टर ही होती है परन्तु बन्दोबस्त विभाग के गांव बसा है तब से 14 फुट रास्ता था जो गलत रूप से इसमें मिलाकर 0.19 हैक्टर रकबा बढ़ा दिया है। वादी ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से मिलकर रास्ता आम की जमीन को अपनी खातेदारी में दर्ज करा लिया है जिसकी दुरस्ती का दावा भी न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है दावा खारिज किया जावे।

वाद संख्या 226/96 वादीगण की ओर से Representative capacity (प्रतिनिधिक हैसियत) से पेश किया गया है व इसमें भी वाद संख्या (377/96) 41/99 में दिये गये जवाब के बिंदुओं को ही कहा है। ग्राम बारसी में अरसा दराज से जब से ग्राम बसा है तब से पश्चिम दक्षिण कोने से एक 14 फुट का रास्ता कायम था जो आबादी में होकर बगल्ले पुरा निकल जाता था। जिस वतरफ उत्तर प्रतिवादीगण का खेत ख0नं0 $\frac{216}{170}$ कायम था जिसके वतरफ दक्षिण से यह रास्ता आबादी में आता था। जिन सोबन के हाल नम्बरान $\frac{166}{0.22}$, $\frac{167}{0.21}$ बने हैं जिनका रकबा 0.43 बनता है सैटिलमेंट ने कायम कर दिया इससे स्पष्ट है कि रास्ते की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी। इसलिये इस 1 बीघा 5 बिस्वा यानी 0.19 हैक्टर भूमि को रास्ता दर्ज किया जावे अथवा [illegible] रास्ते के तौर कायम किया जावे। प्रतिवादीगण ने [illegible] के आधार पर रास्ता [illegible] रोक दिया है। जिससे रास्ता बंद हो गया है [illegible] कर रहे हैं। वह रास्ता उनकी खातेदारी में आ गया है इसलिये रास्ता आम को बंद कर देंगे और इसमें होकर किसी को नहीं निकलने देंगे ऐसी धमकी दिनांक 23.3.92 को ग्राम में दे चुके हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
वयर (भर[illegible]

Scanned with CamScanner

अंत में दावा डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी हरिप्रसाद ने इसका जवाब पेश कर वादपत्र को अस्वीकार किया है व कहा है कि वादीगण अनुसूचित जाति के हैं व एक गिरोह बना रखा है आये दिन तंग व परेशान करते हैं व अपनी जाति का फायदा उठाकर फौजदारी मुकदमे लगा देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जब से गांव बारसी आबाद हुआ है तब से एक रास्ता खसरा पूर्व के कोने से 13-14 फुट चौड़ा बना है जो अंदर गांव में जाकर कई रास्तों में बंट जाता है इस रास्ते के सहारे पोखर बना हुआ है इस पोखर के पश्चिम उत्तर उसके खेत हैं इस खेत से लगा हुआ पश्चिम पूर्व पक्के मकान सुमेर, गुड्डी व जगदा कुम्हारों के हैं। जबसे गांव बसा है तब से हैं पहले ये मकान कच्चे थे अब पक्के बन गये हैं। इस प्रकार पोखर के पश्चिम में तथा खेत ख० नं० में से व मकान सुमेर वगैरह में कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा और न आज ही है गांव में आने जाने के अन्य रास्ते कायम हैं सेटिलमेंट से पहले व बाद में ख०नं० 216 के पश्चिम कभी कोई रास्ता नहीं था जहां तक रकबा कैद का प्रश्न है पास में पोखर है उसका या अन्य खेतों का रकबा सम्मिलित हो सकता है नक्शा गलत है इस हालत में सामान्य वाद पेश किया है।

इसी रास्ते के संबंध में उपरना सिविल जज (क०खण्ड) नगर में विचाराधीन है। अंत में दावा खारिज करने की प्रार्थना की है।

इस पर दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हुए निम्न तनकीहात कायम की गई।

1. आया वादी आराजी ख०नं० $\frac{166}{0.22}$ वाके ग्राम बारसी का सदैव से खातेदार है व प्रतिवादीगण उसके कब्जे काश्त में बेजा मुजाहमत व मदाखलत करते हैं।

2. आया ख०नं० $\frac{166}{0.22}$ का मौके [illegible] था और इस रकबे में सेटिलमेंट उपरान्त रा[illegible] कभी कुछ भी भाग सम्मिलित [illegible]

3. आया हाल ख०नं० $\frac{166}{0.22}$ के मौके से ख०नं० $\frac{167}{0.21}$ में निर्मित हुआ है और दोनों ख०नम्बरान 166 व 167 का कुल रकबा जौरिक के मुकाबले ज्यादा पैमाइश में अधिक आया है जो आम रास्ते का रकबा रहा है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नगर (भरतपुर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

4. दादरसी क्या होगी।

इसके उपरान्त उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई।

वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2046-49 Ex1, नक्शा खसरा चतुर्वर्षीय सम्वत् 2046 ता० 2048 व नक्शा हाल ट्रेस Ex3 व नकशा ट्रेस मौका पेश किये हैं। साक्ष्य मौखिक में बयान वादी PW1 व गवाहान PW2 व PW3 के बयान कराये हैं। प्रतिवादीगण ने प्रति निर्णय सं० 26.2.99 सिविल न्यायाधीश (क०ख०) नगर पेश किये हैं एवं व नकल जमाबंदी क्षेत्र 725/46 के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2020-23 नकल जमाबंदी सम्वत् 2046-49, व मिलान सेम पत्र पेश किया है। व मौखिक साक्ष्य में बयान DW1 ता० DW5 कराये हैं।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया तनकीवार फैसला निम्नप्रकार है:-

तनकी न०1

वादी हरिया सौवाल खा०न० 216 में खातेदार काश्तकार है व खा०न० 216 से बने हाल खा०न० $\frac{166}{0.22}$ का भी राजस्व रेकर्ड में अभिलेखित खातेदार है। प्रतिवादीगण उसके इस खातेदारी के ख०न० 166 में से रास्ता चाहते हैं जबकि वादी द्वारा पेश नकल ट्रेस नक्शा सौवाल व हाल दोनों में ही इस जगह पर कोई रास्ता कायम नहीं है। प्रतिवादीगण को न्यायालय सिविल जज (क०ख०) नगर के निर्णय दिनांक 26.2.99 को डिक्री किया आदर प्रतिवादीगण जानवान जो कि इस दावे में भी प्रतिवादी हैं को "वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पुख्ता मकान में किसी प्रकार का दखल नहीं करें तथा उक्त मकान की उत्तर पश्चिम व दक्षिण की पुख्ता दीवारों को किसी भी प्रकार की ~~[illegible]~~ तोडफोड कर नुकसान नहीं पहुंचावें।"

वादी हरिया बयान PW1 में [illegible] खातेदारी भी बताई है व कहा कि गांव भारली [illegible] से रास्ता है। बयान गवाह PW2 व PW3 [illegible] विवादित [illegible] $\frac{166}{}$ के पूर्व में कुम्हारों के मकान व [illegible] है जो पूरब से पीछर की तरफ हैं। उसी के पश्चिम में हरिया का खेत बताया है। खेत के दक्षिण में पीछर व उत्तर में फरतो गुर्जर का मकान होना कहा है। हरिया के खेत में से कभी रास्ता नहीं होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कहा है। प्रति परीक्षण में भी साक्षीगण ने सैटेलमेंट के दौरान या सैटेलमेंट के बाद पोरवर गुo को कोई सीधा रास्ता हो उससे इंकार किया है। सीधा रास्ता न जाकर घूमकर घोड़ा घूमकर जाना बताया है।

प्रतिवादीगण में ब्यान DW1 हरिया ने विवादित रास्ते को आम रास्ता होना व सीधा पोरवर को जाना व बचपन से ही इस रास्ते से आना जाना कहा है व हरिया द्वारा केस 8-9 साल से बंद करके बताया है व कहा है कि यदि यह रास्ता बंद रहता है तो उनको गांव में रहना मुश्किल हो जायगा। सभी जगह पुकार की है पर किसी ने नहीं सुनी। ब्यान में यह भी कहा है कि इस रास्ते के बंद हो जाने से उनको काफी चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है अन्य गवाहान DW2, DW3, DW4, DW5 ने भी लगभग यही कहा है। प्रतिपरीक्षण में हरिया के खेत के पास रास्ता घेर लेने का व अपनी बस्ती होना व अन्य लोगों के मकानात जिनमें उम्मेद, गुड्डी-मुकुंदा कुम्हार के मकानात भी हैं होना बताया है। यही उम्मेद कोरल .... सिविल जज (क०ख०) नगर के यहां दावा जो दि० 26-2-99 को डिग्री हुआ है वे वादीगण है। बताते हैं। अब इस कुम्हार के मकानों को गुजरान ने खरीद कर लेना बताया है। हरिया के मकानों को .... रास्ता नहीं होना भी जाहिर है। रेनत के बाद आगे कोई रास्ता नहीं ......

इस प्रकार यह साबित है कि भूमि वादी खा० ख०नं० $\frac{166}{0.22}$ का औपचारिक खातेदार पूर्व में भी था व हाल में भी है व प्रतिवादीगण इसकी खातेदारी की आराजी में होकर रास्ता बनाना चाहते हैं व इसके रास्ते में कब्जा करना व मदाखलत करने का प्रयास करना भी साबित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी नं०2

सौवक ख०नं० $\frac{166}{1-10}$ [illegible] ख०नं० $\frac{166}{...}$ बना है इसी सौवक से हाल $\frac{...}{0.22}$ [illegible] कोई साक्ष्य [illegible] किया गया है। भी दस्तावेजी प्रतिवादीगण [illegible] के मिलान इसमें रास्ते की जमीन सम्मिलित [illegible] से बताये हैं। सेजवकल में भी दोनों नम्बर मिर्फ साबिक 2/6 से बताये हैं। अन्य किसी नम्बर सौवक को इसमें सम्मिलित नहीं किया

सहायक कलक्टर (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया है वादी द्वारा पेश नक्शा ट्रेस सौमक व हाला देख ली है वादी द्वारा पेश नक्शा ट्रेस सौमक व नक्शा देखा गया है
इस नम्बर के पास कोई रास्ता रहा हो साबित नहीं है। इस
प्रकार प्रतिवादीगण यह साबित नहीं कर सके हैं कि खसरा नं०
166/0.22 के रास्ते का रकबा शामिल हो। अतः यह तनकी विरुद्ध
प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं० 3

यह सही है कि सौमक खसरा नं० 216/140 के मुकाबिले हाला खसरा नं० 166-167 का कुल रकबा सौमक के मुकाबिले 0.19 हेक्टर बढ़ा है परन्तु यह उन्नीस हेक्टर आम रास्ते की हो यह साबित नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के जवाब में यह कहा है कि इस खेत के पास पोखर है उसका कुछ रकबा या आस पड़ौस के खेतों का रकबा सम्मिलित हो सकता है परन्तु रकबा जितना चाहिये था उतना ही अब है। इस प्रकार प्रतिवादीगण यह साबित नहीं कर सके हैं कि बढ़ा हुआ रकबा आम रास्ते का हो।

वाद पत्र की सभी परिस्थितियों साक्ष्य आदि से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के प्लॉट अलग से गांव का रास्ता है जो पोखर व कुए के पास से सीधा गांव को जाता है परन्तु इसके कुछ घुमाव है प्रतिवादीगण वादी के खेत से सीधा रास्ता कुए व पोखर को निकालना चाहते हैं।

किसी भी खातेदार कृषक की आराजी में से इस प्रकार रास्ता कायम नहीं किया जा सकता न ही इन्हें वादी की आराजी में मदाखलत मजाहमत करने की इजाजत दी जा सकती है।

आदेश

वाद पत्र हरिया दीवानी संख्या 377/96 41/99 डिक्री किया जाता है। वाद पत्र संख्या 72/96 सोनी कोरट खारिज किया जाता है। वादी हरिया के दावे के प्रतिवादीगण [illegible] के हुक्म इम्तनाई दवामी पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आ० खसरा नं० 166/0.22 बीघा आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें व रास्ता आम कायम [illegible] डिक्री बनाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2001 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

A/38

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ, 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

Civil Procedure Code Appendix D-I

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम नगर (भरतपुर)

बअदालत सत्येन्द्र कुमार शर्मा R.A.S.

बनाम

पक्षकारान के नाम नीचे अंकित है

दावा अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act, 88-89 व 188 R.T.Act

मुकद्दमा नं० 41/99 व 725/96

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

व हाजरी अभिभावक मिनजानिब मुद्दई व अभिभावक

मिनजानिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वाद पत्र हरिया दावा सं. 41/99 डिक्री किया जाता है। वाद पत्र सं. 725/96 सोनी वगैरह खारिज किया जाता है। वादी हरिया के दावे के प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की आ.ख.नं. $\frac{166}{0\text{-}22}$ वाके ग्राम पीचे में

बीज मुर्वलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद व दर .... की सवा मालान आज की तारीख

से.तारीख वसूलयावी तक .... की अदा करे ....

मुकदमा मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03-2001

सहायक कलेक्टर

बयाना (भरतपुर)

हस्ताक्षर ....

पद ....

मुद्दई	रुपया	नये पैसे	मुदालय	रुपया	नये पैसे
स्टाम्प अरजी दावा	1	0	स्टाम्प वकालतनामा	2	0
स्टाम्प वकालतनामा	2	0	स्टाम्प अरजी	5	0
स्टाम्प वजह सबूत	5	0	महनताना वकील		
मेहनताना वकील पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफर्रिक	3	0	मीज़ान	7	0
मीजान	11	0			

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

नोट–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा [illegible] दिलाया हो तो नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

A/9

रा.मु. वॉ 24-04-2004-13,00,000 फार्म

APP-A
crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप जिला कलक्टर

नगर (भरतपुर)

नाम अदालत ______ नगर (भरतपुर)

हरिया बनाम देवला

किस्म मुकदमा दावा नं. 41/99 सन ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स सहित	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/5/07	आज यह दोनों पत्रावलियाँ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 26/12/05 के उपरान्त प्राप्त हुई है। न्यायालय के निर्णय अनुसार दावा सं० 725/96 के सम्बन्ध में पारित निर्णय यथावत रखा है तथा दावा सं० 41/99 उनवान हरिया बनाम देवला में पारित निर्णय दिनांक 5/3/01 निरस्त कर पुनः इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि हरिया के कुआ के खसरा नम्बर के अनुसार 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी अर्थात 0-24 हैक्टेयर आराजी की पहचान करते हुए उक्त आराजी को नक्शे में अलग चिन्हित करें तथा अवशेष आराजी को अलग से चिन्हित करें एवं तदनुसार उक्त आराजी के सम्बन्ध में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को कार्यालय से तलबी की जावे। पत्रावली पेशी 6/6/07 को पेश हो। उप जिला कलक्टर नगर (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हरिया बनाम देवला दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	(86/07) ACM नगर 38/13	
28/16	बवजह कार्मिक अनुपस्थित लगातार के कारण तहसीलदार की रिपोर्ट दि० 29-5-15 का अवलोकन नहीं किया जा सका पत्रावली पूर्वानुसार दि० 24-8-16 को पेश हो।	
24/8/16	बवजह कार्मिक अधि० लगातार के कारण रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया जा सका पत्रावली पूर्वानुसार दि० 4-10-16 को पेश हो।	
4.10.16	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9.11.16 को पेश हो।	
9/11/16	बवजह कार्मिक अधि० पत्रावली पूर्वानुसार दि० 19/12/16 को पेश हो।	
19.12.16	पीठासीन अधिकारी महोदय, ~~समन~~/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/16 को पेश हो।	
20-12-16	पीठासीन अधिकारी महोदय, दुर्वाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-1-17 को पेश हो।	
11-1-17	पत्रावली पेश हुई न्यायालय में बार-बार आवाज दिलाई गई बावजूद इसके दोनों पक्षकारान उप० नहीं हुए। अदम हाजरी, अदम पैरवी दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट्रेक)
नगर (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner